

खण्ड विकास अधिकारी का बोरिंग प्रमाण-पत्र संस्तुति

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन का बोरिंग कार्य क्षेत्र नं० 107 में पूर्ण है।
अतः 3.4.19 अश्व शक्ति प्रसार स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।
(ब) मेरे द्वारा साइट की जाँच करवाई गई। बोरिंग पूर्णतः सफल है अतः विद्युत नलकूप कनेक्शन देने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर
बी.डी.ओ. की मुहर सहित
दिनांक 3.4.19
सहायक विकास अधिकारी, प्रतापगढ़

मैं राम सेवक वर्मा
(1) मैं ग्राम बरवा खुर्द
तहसील सदर
ब्लॉक सपवा चण्डिका

- डा०..... जिला प्रतापगढ़ का मूल निवासी हूँ।
(2) मैं/हम अपने नाम निजी नलकूप का कनेक्शन ले रहा हूँ/रहे हैं।
(3) यह है कि सह खातेदारों ने अपनी सहमति दे दी है यदि कोई बाद विवाद पाया गया तो उसके लिए मैं/हम स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।
(4) मैं/हम स्वेच्छापूर्वक प्रक्रमण शुल्क/प्राथमिकता शुल्क जमा करने को तैयार हूँ/हैं।
(5) जब भी विभाग में सामान उपलब्ध होगा तभी कनेक्शन दिया जायेगा जिसकी मैं प्रतीक्षा करूँगा किसी भी प्रकार की मेरे द्वारा की गई कार्यवाही अवैध होगी।
(6) मेरा/हमारा स्वयं का शपथ पत्र संलग्न है।
- 7) सह खातेदारों का शपथ पत्र संलग्न है।
(8) फोटो प्रमाणित है।
(9) खसरा, खतौनी संलग्न है।
(10) विद्युत का पूर्व का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जिस पर बिजु बकाया हो या कोई विजिलेंस आदि की कार्यवाही चल रही हो अथवा स्थाई विच्छेदन कार्यवाही लम्बित हो।
(11) प्रार्थना पत्र सशर्त स्वयं के आग्रह पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। समय-समय पर विभाग के जारी योजना आदेश प्रभावी होंगे नियम एवं शर्तें जारी होने के बाद एक माह में अनुबंध न करने पर प्रार्थना पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
(12) मैं पूर्ण जमा योजना में कनेक्शन लेना चाहता हूँ।

प्रमाणित करता हूँ कि आवेदक ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर.....

(प्रधान/ब्लॉक प्रमुख/बी.डी.ओ. या अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम.....

पता.....

मुहर.....

आवेदक का नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....